<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1308

25 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

सेलम स्टील प्लांट

1308. श्री टी॰ आर॰ बालूः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि स्टील मेल्टिंग शॉप (एमएमएस) परियोजना और सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी) की विस्तार-योजना के रूप में दूसरी कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना वर्ष 2010 में 2200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ आरंभ हुई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि 'सेल' की सहयोगी कंपनियों द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति न किए जाने के कारण, एसएसपी में उत्पादन अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सका और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विनिवेश के रास्ते पर चल रही है, जिससे अंततः सेलम स्टील प्लांट का निजीकरण होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का सेलम स्टील प्लांट के निजीकरण के निर्णय को रद्द करने और 'सेल' द्वारा उसकी सहायक कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार है, ताकि निकट भविष्य में यह इकाई लाभार्जक बन सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 180,000 टन प्रतिवर्ष स्टेनलेस स्टील स्लेब्स का उत्पादन करने के लिए 2,371 करोड़ रुपये की सांकेतिक संशोधित अनुमानित लागत से सितंबर, 2010 में सेलम इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना का

कार्य पूरा किया। आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के अंतर्गत संस्थापित मुख्य सुविधाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- स्टील मेल्टिंग शॉप: इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (55 टी); एओडी कंवर्टर (60 टी); लेडल फर्नेस (60 टी); सिंगल स्ट्रेण्ड स्लैब कास्टर
- हॉट रोलिंग मिल: रोल ग्रांइडर
- कोल्ड रोलिंग मिल कॉम्पलेक्स: एनेलिंग और पिकलिंग लाइन; क्वायल तैयार करने वाली लाइन; 20-हाई सेंडजिमिर मिल; स्किन पास मिल; टेंशन लेवलिंग लाइन; स्लिटिंग लाइन; मिक्सड एसिड रिकवरी सिस्टम; रोटरी पॉलिशर।

(ख): जी नहीं।

(ग) से (ङ): स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की सेलम इकाई की 100 प्रतिशत शेयरधारिता की बिक्री रणनीतिक खरीददारों को किए जाने के लिए खरीददारों की पहचान दो-चरणों वाली नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी और इसे 27 अक्टूबर, 2016 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सेल ने 4 जुलाई, 2019 को वैश्विक बोली आमंत्रण सूचना जारी करके इच्छुक बोलीदाताओं से रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की तथा प्राप्त उत्तरों को 10 सितंबर, 2019 को देखा गया। ईओआई में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के अनुसार बोलीदाताओं को मुख्य क्षेत्रों का पूर्वानुभव होना चाहिए था और उनसे इस इकाई में इस्पात विनिर्माण हेतु प्रौद्योगिक व दक्षता उपलब्ध कराने तथा आवश्यक निवेश करने की अपेक्षा की गई थी। इससे इस क्षेत्र में रोजगार का सृजन होगा और इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र की समृद्धि बढ़ेगी। इससे इस क्षेत्र के अनुप्रवाही उद्योगों का उत्साहवर्द्धन भी होगा।

****